द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन

IInd Annual Report

वर्ष 2002–2003

Year 2002-2003

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board

विन्ध्याचल भवन, 'ग' खण्ड, प्रथम तल

Vindhyachal Bhawan, "C" Wing, Ist Floor

भोपाल – 462 004

Bhopal - 462 004

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board

बोर्ड के सदस्य – दिनांक 31 मार्च 2003

Members of the Board - as on 31st March, 2003

1.	**मुख्य सचिव**, मध्य प्रदेश शासन Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh	**अध्यक्ष** Chairman
2.	**प्रमुख सचिव/सचिव**, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department	सदस्य Member
3.	**प्रमुख सचिव/सचिव**, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Water Resources Department	सदस्य Member
4.	**प्रमुख सचिव/सचिव**, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department	सदस्य Member
5.	**प्रमुख सचिव/सचिव**, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Public Works Department	सदस्य Member
6.	**प्रमुख सचिव/सचिव**, मध्य प्रदेश शासन, योजना विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Planning Department	सदस्य Member
7.	**श्री आर. गोपालकृष्णन**, सचिव, अधोसंरचना विकास बोर्ड Shri R. Gopalakrishnan, Secretary, Infrastructure Development Board	सदस्य Member
8.	**प्रबंध संचालक**, मध्य प्रदेश फायनेंशियल कार्पोरेशन Managing Director, Madhya Pradesh Financial Corporation	सदस्य Member
9.	**सचिव**, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग (संस्थागत वित्त) Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department (Institutional Finance)	निधि प्रबंधक Fund Manager

द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना क्रमांक एफ.1-33-99-पीएमयू-305, दिनांक 17 फरवरी, 2000 द्वारा किया गया था । मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ.1-33-2000-पीएमयू, दिनांक 28 अप्रैल, 2001 द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक स्कीम, जिसे ''मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि स्कीम'' 2001 के नाम से जाना जाता है, अधिसूचित भी की गई है।

मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (एम.पी.आई.आई.एफ.बी.) का गठन अधिनियम के अंतर्गत मुख्यत: मध्य प्रदेश शासन की अधोसंरचना परियोजनाओं, जिसमें सड़क, सिंचाई, जल प्रदाय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निस्सारण भी सम्मिलित है, के लिए संसाधन जुटाने हेतु किया गया था। बोर्ड समय-समय पर, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करें, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कोई राशि, चाहे बांड या डिबेंचर जारी कर के, बैंकों या वित्तिय संस्थाओं से उधार ले सकेगा। बोर्ड निधि से सहायता केवल ऐसे सार्वजनिक उपक्रम या अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट अन्य उपक्रमों को स्वीकृत कर सकेगा जो बोर्ड को प्रस्ताव प्रस्तुत करते हों तथा ऐसे प्रस्ताव की विधीक्षा किसी तकनीकी परामर्शी द्वारा की जाना चाहिए।

बोर्ड द्वारा अपनी गतिविधियां वर्ष 2001-02 में प्रारंभ की गई। मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि स्कीम, 2001 के प्रावधान अनुसार बोर्ड, मूलधन एवं उस पर प्रोदभूत ब्याज को सम्मिलित कर, 1000 करोड़ रूपये से अनधिक की निधि स्थापित कर सकेगा। बोर्ड के कार्य-कलापों को संचालित करने के लिये कोई किसी प्रकार का अतिरिक्त अमला, कार्यालय एवं अन्य स्थापना संबंधी व्यवस्था स्वीकृत नहीं की गई है। बोर्ड की गतिविधियों को संचालनालय, संस्थागत वित्त, विन्ध्याचल

भवन के कार्यालय से ही उनके कर्तव्यों के अतिरिक्त क्रियान्वित किया जा रहा है। सचिव, संस्थागत वित्त, बोर्ड के निधि प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।

मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग ने बोर्ड को यह उपदर्शित किया था कि उनके द्वारा बी.ओ.टी. सड़क परियोजना अंतर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों के लिए रूपये 500 करोड़ की निधि की व्यवस्था की जाए। साथ ही यह भी प्रस्ताव दिया कि उक्त निधि विभाग की योजना को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी म. प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित (वर्तमान में म.प्र.सड़क विकास निगम) को प्रदाय की जाये। सेतु निगम (वर्तमान में एमपीआरडीसी) ने उनके द्वारा चिन्हित 15 सड़कों, जिनकी लम्बाई 2023.70 किलोमीटर हैं (विवरण परिशिष्ट–1 पर है), के बी.ओ.टी. योजना अंतर्गत निर्माण हेतु रू. 500 करोड़ की आवश्यकता दर्शाते हुए वित्तिय व्यवस्था करने हेतु बोर्ड को प्रस्ताव दिया। मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित द्वारा इस परियोजना की कुल लागत रूपये 987.27 करोड़ आंकलित की गई थी। उन्होंने बोर्ड को यह भी प्रस्ताव दिया कि मूल ऋण की राशि को मय ब्याज के वापिस करने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने राज्य बजट में आवश्यक बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया जायेगा और विभाग द्वारा बोर्ड के निधि प्रबंधक को उक्त बजट से सीधे राशि आहरित करने हेतु अप्रतिसंहरणीय प्राधिकार दिया जायेगा। बोर्ड, लोक निर्माण विभाग एवं मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित के मध्य एक ''मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग'' हस्ताक्षरित भी किया गया है। समस्त व्यय, जिसमें लागत एवं ब्याज भी सम्मिलित है, लोक निर्माण विभाग/मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित द्वारा वहन किया जायेगा। उक्त परियोजना को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम द्वारा बोर्ड के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि बी.ओ.टी. योजना अंतर्गत प्रस्तावित 15 सड़कों में से कटनी–दमोह सड़क हेतु टेण्डर प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में उक्त सड़क को विभागीय तौर पर बनवाया जाय तथा सड़क की लागत को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान की सीमा 66 प्रतिशत के अधीन रखा जाय। यदि आवश्यक हो तो सड़क हेतु निर्धारित मापदण्ड तद्नुसार पुर्ननिर्धारित किये जाय। इसी प्रकार, यदि अनय सड़कों का निर्माण बी.ओ.टी. योजना अंतर्गत संभव न हो तो ऐसी सड़कों को भी नियमित अनुबंध योजना के अंतर्गत निर्मित किया जाय।

लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम एवं निधि बोर्ड के मध्य किए गए उपरोक्त एम.ओ.यू. के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित (वर्तमान में एमपीआरडीसी) द्वारा निधि बोर्ड को परियोजना के लिये समय-समय पर आवश्यकतानुसार धनराशि की व्यवस्था करने हेतु योजना प्रस्तुत की गई है। परियोजना हेतु धनराशि की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए निधि बोर्ड द्वारा वर्ष 2001-2002 में रूपये 79.95 करोड़ बॉण्ड के माध्यम से उक्त परियोजना हेतु जुटाये गए थे।

बोर्ड द्वारा बाजार में प्रचलित ब्याज दर के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि बाजार में ब्याज की दर उच्च है। अतएव अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाय। इसी तारतम्य में बोर्ड द्वारा हडको (भारत सरकार का उप्रकम) को राशि रू. 420.05 करोड़ शासकीय प्रत्याभूति के विरूद्ध स्वीकृत करने का प्रस्ताव दिया गया। हडको द्वारा बोर्ड के प्रस्ताव को मान्य करते हुए रू. 420.05 करोड़ का ऋण 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण को एक वर्ष के मोरेटोरियम पश्चात 16 तिमाही किश्तों में भुगतान करना है। बोर्ड द्वारा माह जनवरी 2003 में हडको से ऋण राशि रू. 300 करोड़ की प्रथम किश्त प्राप्त की गई। बोर्ड के निर्णयानुसार उक्त प्राप्त ऋण को राज्य शासन के पास बोर्ड के नाम से पी.डी. खाता खोलकर उसमें जमा की गई। राज्य शासन द्वारा पूर्व में बोर्ड को रू. 500 करोड़ बॉण्ड के माध्यम से जुटाने हेतु शासकीय प्रत्याभूति स्वीकृत की गई थी, जिसे दो हिससो में विभाजित किया गया एवं रू. 79.95 करोड़ बॉण्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त करने हेतु तथा रू. 420.05 करोड़ हडको से ऋण प्राप्त करने हेतु की गई।

बॉण्ड धारकों का विश्वास प्राप्त करने हेतु निधि बोर्ड द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बॉण्ड की प्रथम सिरिज़ के लिए ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। ट्रस्टी बैंक को समय पर ब्याज के भुगतान, बॉण्ड की किस्तों का भुगतान, बॉण्ड का हस्तांतरण आदि कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। बोर्ड और ट्रस्टी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मध्य ट्रस्ट डीड तथा अनुबंध का तद्नुसार निष्पादन किया।

बोर्ड द्वारा बॉण्ड के माध्यम से जुटाई गई राशि रूपये 80.19 करोड़ मय ब्याज के म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लि. को दिनांक 17 एवं 20 मई 2001 को प्रथम किश्त के रूप में निर्गमित की गई। बॉण्ड धारक को वर्ष 2002-2003 हेतु दिनांक 1 मई 2003 को देय प्रथम किश्त राशि रू. 19,98,75,000/- एवं ब्याज राशि रू. 10,19,36,250/- के भुगतान हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा बोर्ड को बॉण्ड धारकों को प्रथम किश्त एवं ब्याज का भुगतान करने हेतु रू. 30.19 करोड़ वर्ष के दौरान उपलब्ध कराये गये जो कि ट्रस्टी बैंक के पास उसके निक्षेप में रखे गए हैं तथा देय तिथि पर ट्रस्टी बैंक अर्थात सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बॉण्ड धारकों को ब्याज का भुगतान किया गया है। साथ ही हडको से प्राप्त ऋण पर तिमाही हेतु देय ब्याज के लिये भी रू. 6.25 करोड़ उपलब्ध कराये गये जिसमें से रू. 6,16,43,836/- का ब्याज भुगतान हडको को किया गया।

अधिनियम के प्रावधान अनुसार, राज्य शासन द्वारा बोर्ड के लेखों का अंकेक्षण करने हेतु स्थानीय निधि संपरीक्षा को संपरीक्षक नियुक्त किया गया है। संपरीक्षक द्वारा अंकेक्षित वित्तीय पत्रक अनुसार बोर्ड को वर्ष 2002-2003 के दौरान व्यय पर आय का आधिक्य रहते हुए रू. 4,05,136/- की शुद्ध बचत हुई।

उपरोक्त के दृष्टिगत निधि बोर्ड को विश्वास है कि राज्य सरकार की अधोसंरचना विकास परियोजना अर्थात बी.ओ.टी. सड़क परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सेतु निगम की निधि की आवश्यकता हेतु वर्ष 2003-04 के दौरान बोर्ड द्वारा निधियों के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी ।

(विजय सिंह)

अध्यक्ष

मध्य प्रदेश अधोसंरचना

विनिधान निधि बोर्ड

IInd A N N U A L R E P O R T

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board was constituted under section 3 (1) of The Madhya Pradesh Adhosanrachna Vinidhan Nidhi Board Adhiniyam, 2000 (No. 6 of 2000) vide notification no.F.1-33-99-PMU-305 dated 17th February 2000. The Government of Madhya Pradesh also notified a Scheme under the provisions of the Act called as "The Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Scheme" 2001 vide notification no.F.1-33-2000-PMU dated 28th April 2001.

The Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board (MPIIFB) was constituted under the Act mainly to mobilize resources for infrastructure projects of the Government of Madhya Pradesh, including roads, irrigation, water supply, solid waste management and drainage. The Board may, from time to time, with the previous sanction of the State Government and subject to such conditions as the State Government may, by general or special order determine, borrow funds for the purposes enumerated in the Act, by the issue of bonds or debentures or otherwise or by making arrangements with Banks or financial institutions. The Board could grant assistance from the Fund only to public sector undertakings or other undertakings as specified in the Act, which submit the proposal to the Board and such proposals shall be vetted by a Technical Consultant.

The Board started its functioning during the year 2001-2002. According to the provisions of the Madhya pradesh Infrastructure Investment Fund Board Scheme 2001, the Board could establish a Fund of an amount not exceeding Rs. 1000 crore (including principal and interest accrued thereon). The Board is a pass-through Vehicle and as such there is no arrangement for additional manpower,

office and other establishment sanctioned to conduct the activities of the Board. The activities of the Board are being implemented from the Directorate of Institutional Finance at Vindhyachal Bhawan in addition to their own duties. The Secretary, Institutional Finance also acts as the Fund Manager of the Board.

The Public Works Department of the State Government of Madhya Pradesh indicated to the Board that funds should be arranged to the extent of Rs. 500 crore for construction of roads under BOT road project scheme of the Department. It was also proposed that funds be provided to their implementing agency of the scheme, i.e. M.P. Rajya Setu Nirman Nigam (MPRSNN) (now M.P. road Development Corporation). The MPRSNN (now MPRDC) also indicated that they would require about Rs. 500 crore to fund their 15 identified roads of 2023.70 kilometers in BOT road projects (details are at Annexure-I). The total project cost of these roads assessed by MPRSNN was about Rs. 987.27 crore. It was also proposed that repayment of principal amount and interest to the fund for payment of their obligations will be made by the Public Works Department through their State budget and irrevocable authority will be given by the Department to the Fund Manager to draw required amount directly from their budget. A Memorandum of understanding was signed between MPIIFB, Public Works Department and M. P. State MPRSNN (now MPRDC). All the expenses including cost and interest would be borne by PWD/MPRSNN (now MPRDC). Madhya Pradesh Rajua Setu Nirman Nigam (now MPRDC), executing agency for the project, placed the matter before the Board that earlier 15 roads were proposed under BOT Scheme but tender for Katni-Damoh road has not been received. Accordingly, the Board decided that this road may be constructed Departmentally and the cost of the road may be restricted upto 66% of the total cost i.e. the maximum limit of subsidy as prescribed by the State Government and if required, the specifications may be adjusted accordingly.

Similarly, if required, other roads, not constructed under BOT, may also be constructed under regular contract scheme.

According to provisions of the MoU entered into between PWD, MPRSNN & Fund Board, MPRSNN submitted its periodical requirement to the Fund Board for the project. Considering the requirement, it was decided that the Fund Board would float bonds at different times by "Private Placement". The Fund Board has raised Rs. 79.95 crore during the year 2001-2002 from Bond route for this project.

The Board took a decision that the interest rate in the market has been reduced substantially; hence other options to raise resources may be explored. Accordingly, the Board gave an offer to the HUDCO (AGovernment of India Enterprise) to sanction Rs. 420.05 crore against Government Guarantee. HUDCO has agreed to the proposal of the Board and sanctioned Rs. 420.05 crore to the Board on an interest rate of 10% per annum. The repayment of the loan is to be made in 16 quarterly instalments with a moratorium of one year. The Board has received first installment of loan of Rs. 300 crore from HUDCO during January 2003. As per decision of the Board, the loan received from HUDCO was kept in PD Account opened with the State Government. Earlier, the State Government sanctioned a Government Guarantee of Rs. 500 crore to the Board for raising resources through Bonds, which has been divided into two parts, one was for Rs. 79.95 crore for raising loan from bonds and another was for Rs. 420.05 crore in favour of HUDCO.

To gain confidence of the bondholders, the Fund Board appointed Central Bank of India as Trustee for the Ist series of Bonds. The trustee bank was required to handle the entire work relating to timely payment of interest, payment of redemption amount to bond holders, transfer of bonds etc. A Trust deed and

agreement was also executed between the Fund Board and the Trustee, Central Bank of India.

The Board released first installment of loan of Rs. 80.19 crore to M.P. State MPRSNN on 17th and 20th May 2001. To repay the first installment of bonds and interest for the year 2002-2003 to the bondholders, adequate provision was made by Public Works Department in their budget. PWD released Rs. 30.19 crore to the Board during the year for payment of first installment and interest to the bond holders at the end of the year, which was kept in deposit with the Trustee Bank and later on, on due date, payment of first installment and interest was made to Bond holders by the Trustee i.e. Central Bank of India. In addition to this, PWD also made available Rs. 6.25 crore towards payment of interest to HUDCO for the quarter against which the Board had paid Rs. 6,16,43,836 to HUDCO towards interest for the quarter.

In accordance to the provisions of the Act, the State Government has authorized Local Fund Audit to conduct the audit of the Board. As per statement audited by the Auditors, during the year 2002-2003, there is a net surplus of income over expenditure to the extent of Rs. 4,05,136/-.

Considering to the above, the Fund Board is confident that the fund requirement of MPRSNN to implement infrastructure projects i.e. BOT road projects, necessary arrangement of funds will be made by the Board during the year 2003-2004.

(**VIJAY SINGH**)
CHAIRMAN
Madhya Pradesh Infrastructure
Investment Fund Board

वर्ष 2002-2003 में बोर्ड के वित्तिय सहयोग से मध्य प्रदेश राज्य सेतू निर्माण निगम (वर्तमान में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम) द्वारा राज्य सरकार की बी.ओ.टी./नियमित अनुबंध योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कें

Construction of Roads under B.O.T. /Regular Contract scheme of the State Government during 2002-2003 by Madhya Pradesh Rajya Setu Nirman Nigam (now Madhya Pradesh Road Development Corporation) with Financial Assistance from the Fund Board

क्रमांक S.No.	सड़क का नाम Name of the Road	कुल लम्बाई Length in Km.	परियोजना लागत Project cost (Rs. in Crore)
1.	Indore-Sanavad-Burhanpur-Edlabad इन्दौर-सनावद-बुरहानपुर-एदलाबाद	203	123.00
2.	Ujjain-Agar-Susner-Jhalawad उज्जैन-आगर-सुसनेर-झालावाड़	134	65.19
3.	Dewas-Ujjain-Badnagar-Badnawar देवास-उजजैन-बड़नगर-बदनावर	106	49.30
4.	Hoshangabad-Pipariya-Pachmarhi होशंगाबाद-पिपरिया-पचमढ़ी	123	59.88
5.	Jabalpur-Narsinghpur-Pipariya जबलपुर-नरसिंहपुर-पिपरिया	140	74.16
6.	Sagar-Damoh-Jabalpur सागर-दमोह-जबलपुर	176	89.70
7.	Hoshangabad-Harda-Khandwa होशंगाबाद-हरदा-खण्डवा	185.60	81.00
8.	Raisen-Rahatgarh रायसेन-राहतगढ़	100	57.72
9.	Satna-Maihar-Tala-Umaria सतना-मैहर-टाला-उमरिया	141.30	54.22
10.	Rewa-Jaisinghnagar-Shahdol-Amarkantak रीवा-जयसिंहनगर-शहडोल-अमरकंटक	246.80	110.00
11.	Seoni-Balaghat-Gondia सिवनी-बालाघाट-गोंदिया	114	59.80
12.	Katni-Damoh कटनी-दमोह	101	62.30
13.	Bina-Sironj-Guna बीना-सिरोंज-गुना	144	44.00
14.	Mandla-Kanha मण्डला-कान्हा	59	35.00
15.	Jabalpur-Patan-Shahpura जबलपुर-पाटन-शाहपुरा	50	25.00

लेखा विवरण

Accounts Statement

वर्ष 2002-2003

Year 2002-2003

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

दिनांक 31 मार्च 2003 पर स्थिति विवरण

दायित्व	राशि रू.	सम्पत्तियां	राशि रू.
प्रथम सिरिज़ के सुरक्षित बॉण्ड द्वारा एकत्र ऋण	79,95,00,000	म0प्र0राज्य सेतू निर्माण निगम को ऋण	61,25,26,250
प्रथम सिरिज़ बॉण्ड पर देय ब्याज	9,34,41,563	सेन्टल बैंक ऑफ इण्डिया चालू खाता	30,19,20,050
हडको से ऋण	300,00,00,000	मध्य प्रदेश शासन के पास जमा (पी.डी.खाते में)	299,07,98,750
ब्याज भुगतान के विरूद्ध लोक निर्माण विभाग से से प्राप्त अग्रिम	95,03,351		
व्यय पर आय का आधिक्य	28,00,136		
योग	390,52,45,050	**योग**	390,52,45,050

सही/-
(डी0 आर0 एस0 चौधरी)
निधि प्रबंधक
म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

सही/-
(आर0 के0 शर्मा)
सीनियर ऑडिटर
लोकल फण्ड ऑडिट, म.प्र.

सही/-
(ए0 व्ही0 सिंह)
अध्यक्ष
म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

दिनांक 01.04.2002 से 31.03.2003 तक की अवधि का आय-व्यय पत्रक

व्यय	राशि रू.	आय	राशि रू.
बैंक चार्जेस	50	फिक्सड डिपाजिट़ पर अर्जित ब्याज	4,05,186
प्रथम सिरिज़ बॉण्ड पर चालू वर्ष का ब्याज	10,19,36,250	ऋण पर अर्जित ब्याज	16,35,80,086
हडको ऋण पर ब्याज	6,16,43,836		
व्यय पर आय का आधिक्य	4,05,136		
योग	16,39,85,272	**योग**	16,39,85,272

सही/-
(डी0 आर0 एस0 चौधरी)
निधि प्रबंधक
म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

सही/-
(आर0 के0 शर्मा)
सीनियर ऑडिटर
लोकल फण्ड ऑडिट, म.प्र.

सही/-
(ए0 व्ही0 सिंह)
अध्यक्ष
म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

दिनांक 01.04.2002 से 31.03.2003 तक की अवधि का प्राप्ति-भुगतान लेखा पत्रक

प्राप्तियां	राशि रू.	भुगतान	राशि रू.
प्रथम सिरिज़ के सुरक्षित बॉण्ड द्वारा एकत्र ऋण	0	म0प्र0राज्य सेतू निर्माण निगम को ऋण	1,05,01,250
हडको से सावधिक ऋण	300,00,00,000	सेन्टल बैंक ऑफ इण्डिया चालू खाता	19,99,25,050
म0प्र0राज्य सेतू निर्माण निगम से ऋण की वसूली	19,98,75,000	मध्य प्रदेश शासन के पास जमा (पी.डी.खाते में)	299,07,98,750
फिक्सड डिपाजिट़ पर अर्जित ब्याज	4,05,186	प्रथम सिरिज़ बॉण्ड पर चालू वर्ष का ब्याज	10,19,36,250
ऋण पर अर्जित ब्याज	16,35,80,086	हडको ऋण पर ब्याज भुगतान	6,16,43,836
लोक निर्माण विभाग से ब्याज भुगतान के विरूद्ध अग्रिम	9,44,914	बैंक चार्जेस	50
योग	336,48,05,186	**योग**	336,48,05,186

सही/-
(डी0 आर0 एस0 चौधरी)
निधि प्रबंधक
म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

सही/-
(आर0 के0 शर्मा)
सीनियर ऑडिटर
लोकल फण्ड ऑडिट, म.प्र.

सही/-
(ए0 व्ही0 सिंह)
अध्यक्ष
म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board

Balance Sheet as at 31st March 2003

Liabilities	Amount Rs.	Assets	Amount Rs.
Secured Loans from Private Placement Bond Series-I	79,95,00,000	Loan to MPRSNNL	61,25,26,250
Interest payable on Bond Series-I	9,34,41,563	Central Bank of India Current A/c	30,19,20,050
Term Loan from HUDCO	300,00,00,000	Deposit with GOMP (P.D. A/c.)	299,07,98,750
Advance against Interest payment from PDW	95,03,351		
Excess of Income over Expenditure	28,00,136		
Total	390,52,45,050	Total	390,52,45,050

Sd/-	**Sd/-**	**Sd/-**
(D.R.S. CHAUDHARY)	**(R. K. Sharma)**	**(A. V. SINGH)**
FUND MANAGER	SENIOR AUDITOR	CHAIRMAN
M.P.I.I.F.B.,BHOPAL	Local Fund Audit, M.P.	M.P.I.I.F.B., BHOPAL

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board

Income & Expenditure account for the period from 01.04.2002 to 31.03.2003

Expenditure	Amount Rs.	Income	Amount Rs.
Bank Charges	50	Interest Earned on FDR	4,05,186
Interest on Bond Series-I	10,19,36,250	Interest earned on Loans	16,35,80,086
Interest Charges on HUDCO Loan	6,16,43,836		
Excess of Income over Expenditure	4,05,136		
Total	16,39,85,272	Total	16,39,85,272

Sd/-	**Sd/-**	**Sd/-**
(D.R.S. CHAUDHARY)	**(R. K. Sharma)**	**(A. V. SINGH)**
FUND MANAGER	SENIOR AUDITOR	CHAIRMAN
M.P.I.I.F.B.,BHOPAL	Local Fund Audit, M.P.	M.P.I.I.F.B., BHOPAL

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board

Receipt & Disbursement account for the period from 01.04.2002 to 31.03.2003

Receipts	Amount Rs.	Disbursements	Amount Rs.
Secured loans from Private placement-Series-I	0	Loan to MPRSNNL	1,05,01,250
Term Loan from HUDCO	300,00,00,000	Central Bank of India Current A/c	19,99,25,050
Loan recovered from MPRSNN	19,98,75,000	Deposit with GOMP (P.D. A/c.)	299,07,98,750
Interest Earned on FDR	4,05,186	Interest on Bonds-Series-I	10,19,36,250
Interest Earned on loans	16,35,80,086	Interest Charges on HUDCO Loan A/c.	6,16,43,836
Advance against Interest payment from PWD	9,44,914	Bank Charges	50
Total	336,48,05,186	Total	336,48,05,186

Sd/-	**Sd/-**	**Sd/-**
(D.R.S. CHAUDHARY)	**(R. K. Sharma)**	**(A. V. SINGH)**
FUND MANAGER	SENIOR AUDITOR	CHAIRMAN
M.P.I.I.F.B.,BHOPAL	Local Fund Audit, M.P.	M.P.I.I.F.B., BHOPAL